न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 53/2022 बउनवानी राजू कांकोरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स0मा0 पुत्र स्व0 श्री देवीनारायण कांकोरिया ग्राम व पोस्ट खण्डार

GCMS No-2022/103

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
29.7.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 12.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. दिनांक 1.1.2011 से 11.5.2022 तक सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर कितने उचित मूल्य दुकानदारो–राशन डीलरो का निलम्बन हुआ है उन निलिम्बित उचित मूल्य दुकानदारो–राशन डीलरो के समस्त सम्पूर्ण निलम्बन आदेशो की सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत तय निर्धारित समय सीमा के अन्दर आवेदक को प्रमाणित नकल उपलब्ध करवाने की कृपा करे।
2. राजेश कुमार शर्मा (निलम्बित–निरस्त) उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर प्रदेश राजस्थान की निलम्बित पत्रावली एवं निरस्त पत्रावली के समस्त दस्तावेजों की सूचना की सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत आवेदक को तय निर्धारित समय–सीमा के अन्दर प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2022/694 दिनांक 4.7.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण तलाश किया जाना सम्भव नही है। तथा बिन्दु सख्या 2 की सूचना से संबंधित पत्रावली जिला कलेक्टर न्यायालय मे भिजवाई जा चुकी है इसलिए सूचना दिया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना (उक्त अवधि मे प्राप्त शिकायतो पत्रो की प्रति) अपीलान्ट को 15 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना से संबंधित पत्रावली इस न्यायालय में होने के का[illegible] अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐ उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील [illegible] का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद [illegible] दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:27:25 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर